न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 45/2020, जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00081

1. देवकिशन पुत्र रामहेत
2. मांगीलाल पुत्र देवकिशन
3. हरीमोहन पुत्र देवकिशन
4. अशोक पुत्र मांगीलाल
5. मुनीराज पुत्र हरीमोहन

जातियान मीना निवासीयान ग्राम गांगुरदा तहसील करौली जिला करौली राज0।

अपी0

बनाम

1. किशोर पुत्र भौरया जाति राना निवासी गांगुरदा तहसील करौली जिला करौली राज0।

रेस्पों0

(अपील विरूद्ध निर्णय व डिग्री न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली मु0न0 162/2016 निर्णय व डिग्री दिनांक 28.01.2020)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री महेश कुमार शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री श्याम प्रकाश गर्ग

निर्णय **दिनांक 29.11.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 162/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2020 उनवानी किशोर बनाम देवकिशन के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पों0 ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 355 रकबा 2 बीघा 17 विस्वा वाके ग्राम गागुंरदा तहसील करौली में वादी/रेस्पों. के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। वादी/रेस्पों. बुजुर्ग 65 साल का है और आंखो से अंधा है। [illegible] है [illegible] के बच्चे बाहर मेहनत मजदूरी करते है। वादी/रेस्पों. ताकत व पैसों से कमजोर व्यक्ति है। वादी/रेस्पों. के गांव में वादी/रेस्पों. की विरादरी का एक ही घर है जबकि मीना विरादरी का बाहुल्य है। प्रतिवादीगण/अपी0 ताकत के बल पर वादी/रेस्पों. की खातेंदारी की आराजी को छीनना चाहते है। दिनांक 30.06.2016 को वादी/रेस्पों. अपनी पत्नी के साथ सुबह 8 बजे के करीब खेत की रखवाली करने गया तो सभी प्रतिवादीगण/अपी0 मुझ वादी/रेस्पों. को धमकी देकर कहने लगे कि हम तुम्हें खेत को काश्त नहीं करने देगें

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

और जबरन कब्जा करेंगें तथा पूरे परिवार को गांव से निकाल देंगें। वादी/रेस्पों. प्रतिवादीगण/अपी0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का मुश्तहक है। अतः वादी/रेस्पों. द्वारा वादपत्र पेश कर अधिनस्थ न्यायायल में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण/अपी0 वादी/रेस्पों. की खातेदारी की जमीन में वादी/रेस्पों. के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट नहीं डालें न ही किसी अन्य से करवायें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पों0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पों0 का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2020 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों का सही विवेचन नहीं कर एक पक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। रेस्पों. द्वारा हम अपी0 के विरूद्व एक दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था जिसमें हमारे द्वारा दिनांक 04.11.2016 को अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अपी0 के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में आज तक कोई सूचना नहीं दी गई और दिनांक 25.09.2017 को हमारा जबाव बन्द करा दिया गया। जिसकी सूचना न तो हमें हमारे वकील द्वारा दी गई न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई। इसके पश्चात् दिनांक 27.10.2017 व दिनांक 09.11.2017 को उक्त प्रकरण की सूचना जनरल नोटिस के द्वारा दी गई। दिनांक 11.12.2017 को हम अपी0 के वकील ने पैरवी करने से मना कर दिया जो आदेशिका दिनांक 11.12.2017 से स्पष्ट है। जिसकी सूचना भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हम अपी0 को नहीं दी गई थी जो कानूनन आवश्यक थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षयीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। रेस्पों. द्वारा अपी0 सं. 1 671832/-रूपये उधार लिये थे जिनकी ऐवज में रेस्पों. व उसके लडके विष्णु ने उक्त राशि को सावन सुदी 5 सम्बत् 2062 दिनांक 25.06.2005 को अदा करने के लिये इकरार किया था। रूपया अदा नहीं होने पर उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 355 पर जमीन की रजिस्ट्री कराने का करार किया था परन्तु रेस्पों. ने आज तक न तो रूपया अदा किया [illegible] हम अपी0 के हक में रजिस्ट्री कराई और रूपया व जमीन हड़पने के लिये विधि [illegible] लेकर हम अपी0 के विरूद्व यह झूठा वादपत्र पेश किया जो हर हालत में खारिज होने योग्य है। रेस्पों. द्वारा उक्त आराजीयात पर कब्जा हम अपी0 को दे दिया गया परन्तु रजिस्ट्री कराने में टालमटोल करता रहा है। रेस्पों. द्वारा दिनांक 30.06.2016 को विवादित आराजी पर अपना कब्जा होना गलत दर्ज किया है बल्कि विवादित आराजी पर मुझ अपी0 सं. 1 का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 वाके ग्राम गांगुरदा तहसील करौली के खतौनी सं. 16 पर खसरा नं. 355 किशोर पुत्र भौरया कौम राना सा. देह दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जबाव दावा पेश करने हेतू दिनांक 04.11.2016 से 25.09.2017 तक पर्याप्त समय विधिनुसार दिया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनरजिस्ट्रर्ड एवं अनस्टाम्पड है, जिसमें गिरवी से रजिस्ट्री करवाने बावत् कहा है। यह बिन्दु राजस्व न्यायालय में विचारनीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर करौली के मु0नं0 162/2016 निर्णय दिनांक 28.01.2020 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29.11.21

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner